

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(01)न्याय/2025

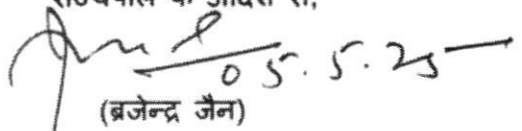
जयपुर, दिनांक 05.05.2025

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीनवादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली	अपर जिला न्यायाधीश, बर जिला ब्यावर	बर
2	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बुन्दी	अपर जिला न्यायाधीश, केशोरायपाटन	केशोरायपाटन

नोट-उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/03/2025/912

Date: 09/05/2025

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars/ OSD, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The concerned District & Sessions Judge, Bundi/ Pali
3. The concerned court through District & Sessions Judge.
4. The concerned Chief Judicial Magistrate, Bundi/ Pali
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.


09/05/2025
REGISTRAR (RULES)